बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 2/नि0–1–101/2020

प्रेषक,

राय संजीव सहाय,
मुख्य अभियंता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय– **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के स्थायी रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन किया जाना है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना है। तदनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेस विज्ञप्ति की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसे अविलम्ब प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राय संजीव सहाय)
मुख्य अभियंता (नागरिक) के
प्रावैधिक सचिव

ज्ञापांक– 150 दिनांक– 09.09.2020

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय बेवसाईट पर Upload करें।

अनु0–यथोक्त।

09/09

(राय संजीव सहाय)
मुख्य अभियंता (नागरिक) के
प्रावैधिक सचिव

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी नियोजन संबंधी सूचना।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के स्थायी रिक्त 288 पदों (give break up) के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. योग्यता/पात्रता :– असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा योग्यताधारी। [बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित शर्तो के अनुसार]।

3. चयन की प्रक्रिया :– www.phed.bih.nic.in पर प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत मेधा सूची का निर्धारण संबंधी प्रक्रिया के आधार पर।

4. नियोजन की अवधि :– नियोजन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त स्थायी पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) की होगी।

5. उम्र सीमा :– कनीय अभियंता (असैनिक) के लिए चयन के वर्ष की पहली जनवरी, 2019 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष।

6. Online आवेदन दिनांक–25.09.2020 से दिनांक–15.10.2020 (अपराह्न 5:00 बजे) तक ही स्वीकार किये जायेंगें। निर्धारित समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. विभाग विज्ञापन एवं शर्तों को संशोधित/रद्द करने का सर्वाधिकार रखता है।

8. विस्तृत जानकारी एवं Online आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट www.phed.bih.nic.in देखा जा सकता है।

09/09

(राय संजीव सहाय)
मुख्य अभियंता (नागरिक) के
प्रावैधिक सचिव